कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/निप्र/डी–1/22709/मैन/प्र.वा./2018–19/271 दिनांक :17.07.18

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक – प्रथम/द्वितीय ।

विषयः– दिनांक : 23–28 जुलाई, 2018 की अवधि में आयोज्य सत्रः 2018–19 की दो दिवसीय सत्रारम्भ संस्था प्रधान वाक्पीठ के प्रभावी एवं सार्थक आयोजन बाबत् ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिविरा पंचाग : 2018–19 में प्रदत्त निर्देशानुरूप सत्रारम्भ संस्था प्रधान वाक्पीठ का आयोजन दिनांक : 23–28 जुलाई, 2018 की अवधि में दो दिवसों में किया जाना है। संस्था प्रधान वाक्पीठ जिला स्तर पर शैक्षिक एवं प्रशासनिक विषयों पर चिन्तन, मनन, विचार व्यक्त करने तथा तदनुसार प्राप्त नवाचारों एवं अनुभूत शैक्षिक–प्रशासनिक अनुभवों के आदान–प्रदान उपरान्त ज्वलंत शैक्षिक मुद्दों के सार्थक एवं सकारात्मक प्रबन्धन हेतु संस्था प्रधानों को तैयार करने का एक सुदृढ़ माध्यम एवं प्रभावशाली मंच है । इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिलास्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। वाक्पीठ के प्रभावी एवं समन्वित संचालन में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के शैक्षिक प्रकोष्ठ तथा वाक्पीठ कार्यकारिणी की अहम् भूमिका होती है। उक्त क्रम में सत्रारम्भ की संस्था प्रधान वाक्पीठ के एजेण्डे में स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दों एवं विषयों के साथ विभिन्न ज्वलंत एवं सम–सामयिक शैक्षिक विषयों/मुद्दों पर सार्थक चर्चा/विशेषज्ञ वार्ता हेतु अग्रांकित बिन्दुओं एवं निर्देशित कार्यवाही को आवश्यक रूप से शामिल किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. **संस्था प्रधान द्वारा आवश्यक रूप से भागीदारी** :– उक्त वाक्पीठ में समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान स्वयं भाग लेंगे। संस्था प्रधान का पद रिक्त होने की स्थिति में प्रभारी/कार्यवाहक संस्था प्रधान द्वारा भाग लिया जाएगा। अपरिहार्य स्थिति में संस्था प्रधान द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अपने प्रतिनिधि को भागीदारी हेतु नामित किया जा सकता है।
2. **ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष** :– विद्यालय के शैक्षिक एवं भौतिक विकास को निरन्तरता प्रदान करने हेतु स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए विगत वर्ष शास्कीय पहल पर प्रारम्भ विशिष्ट नवाचारों " **ज्ञान संकल्प पोर्टल** " एवं " **मुख्यमंत्री विद्यादान कोष** " की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त बाबत् शास्कीय अपेक्षानुरूप समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों को अधिकाधिक अवगति एवं उक्तानुरूप सक्रिय भागीदारी हेतु अग्रांकित बिन्दुओं के सम्बन्ध में वाक्पीठ के दौरान विशेषज्ञ वार्ता /चर्चा आयोजित करवाएं :–
   - ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में वार्ता (पी.पी.टी. व ऑनलाईन प्रदर्शन द्वारा)
   - ज्ञान संकल्प पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा।
   - संस्था प्रधान सहित समस्त स्टाफ व पीईईओ क्षेत्र के विद्यालयों के स्टाफ का रजिस्ट्रेशन ज्ञान संकल्प पोर्टल पर करवाने की जानकारी देना व यथा सम्भव दान हेतु प्रेरित करना।
   - विद्यालयों में पंजीकृत SDMC/SMC के आयकर अधिनियम की धारा – 80 "जी" के अंतर्गत पंजीयन के सम्बन्ध में चर्चा।
   - ज्ञान संकल्प पोर्टल के twitter & Facebook पेज के बारे में जानकारी प्रदान करना।
   - जिले में त्रैमासिक कार्य योजना बनाकर ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के बारे में चर्चा।
3. **बोर्ड परीक्षा परिणाम समीक्षा हेतु निर्धारित टाईम फ्रेम की पालना :–** परीक्षा परिणाम की समीक्षा हेतु जारी विभागीय परिपत्र क्रमांक : शिविरा–मा/माध्य/निप्र/डी–1/21901/पप/2015–16/300,

Scanned by CamScanner

दिनांक : 18.04.16 द्वारा कक्षा 05, 08, 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाओं में न्यून परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों/संस्था प्रधानों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु निम्नांकित विवरणानुसार समय सारिणी निर्धारित है :–

i. न्यून परीक्षा परिणाम वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षकों का निर्धारण :– 30 जुलाई, 2018 तक।
ii. सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना :– 10 अगस्त, 2018 तक।
iii. कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर प्राप्त करने की अन्तिम तिथि :– 30 अगस्त, 2018 तक।
iv. विश्लेषण उपरान्त आरोप पत्र जारी करना :– 10 सितम्बर, 2018 तक।
v. आरोप पत्र का जवाब प्राप्त करना :– 25 सितम्बर, 2018 तक।
vi. व्यक्तिगत सुनवाई :– 10 अक्टूबर, 2018 तक।
vii. आरोप पत्र पर निर्णय पारित करना :– 15 अक्टूबर, 2018 तक।

उपर्युक्त वर्णित परिपत्र एवं समय सारिणी की विस्तृत अवगति प्रदान करते हुए उक्त स्थाई निर्देशों के अनुरूप वर्ष : 2018 की कक्षा : 05, 08, 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाओं में न्यून परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही निस्तारित की जाने हेतु अग्रिम कार्य योजना निर्मित कर वाक्पीठ में समस्त संस्था प्रधानों को निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप न्यून परीक्षा परिणाम प्रकरणों के निस्तारण हेतु तय समयावधि में उपरवर्णित कार्यवाही सम्पादित करवाए जाने हेतु निर्देश प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।

4. <u>**विद्यालयों में संचालित विषय एवं शाला दर्पण में प्रदर्शित विषय में विसंगति**</u> :– राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.22(6)शिक्षा–1/2002, जयपुर, दिनांक : 30.04.15 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक, गैर–शैक्षणिक एवं मंत्रालयिक कार्मिकों के पदों के निर्धारण हेतु मानदण्ड़ जारी किए गए है। उक्तानुरूप जून, 2015 में समस्त राजकीय विद्यालयों में स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत विषय एवं पदों का आवंटन मण्डल/जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर गठित समिति के प्रस्तावों के आधार पर किया जा चुका है। स्टाफिंग पैटर्न की प्रक्रिया सम्पादन के तीन वर्ष से अधिक समयावधि व्यतीत होने के बावजूद अनेक संस्था प्रधानों द्वारा उनके विद्यालय में संचालित विषय एवं शाला दर्पण में स्वीकृत विषय की भिन्नता/विसंगति के सम्बन्ध में निदेशालय से पत्र व्यवहार किया जा रहा है। उक्त बाबत् निदेशालय के निर्देश पत्र क्रमांक : शिविरा–मा/माध्य/अ–1/21310/स्टा०प०वि०/2018/फा–01 दिनांक 10.07.18 द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके जिले के इस प्रकार के समस्त प्रकरण समीक्षोपरान्त अपनी स्पष्ट अभिशंषा के साथ निर्धारित प्रपत्र में भिजवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला क्षेत्राधिकार के उक्त प्रकार के समस्त प्रकरणों की पहचान हेतु सम्बन्धित संस्था प्रधानों को पाबन्द करते हुए उक्त बाबत् वस्तुस्थिति मय साक्ष्य लेकर वाक्पीठ में उपस्थिति हेतु निर्देशित करें तथा इस माह के अन्त तक उक्त प्रकार के समस्त प्रकरणों को परीक्षण उपरान्त समेकित रूप से स्पष्ट अभिशंषा सहित निम्नांकित प्रारूप में माह अगस्त, 2018 के प्रथम सप्ताह में आवश्यक रूप से इस कार्यालय को वाहक स्तर पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :–

क्र. सं.	विद्यालय का नाम, ब्लॉक, जिला व IFMS कोड	शाला दर्पण पर आवंटित विषय	विद्यालय में संचालित विषय, जो शाला दर्पण से भिन्न है	भिन्नता का स्पष्ट कारण	सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के स्पष्ट प्रस्ताव	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

ध्यान रहे, उपर्युक्तानुसार सम्पूर्ण राज्य में समस्त विद्यालयों में संचालित/स्वीकृत विषय विसंगति निवारण हेतु यह अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले अथवा जानकारी में आने वाले प्रकरणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक का दायित्व निर्धारण किया जाकर अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

5. <u>**विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं के सम्बन्ध में**</u> :– वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन से सम्बन्धित योजनाएं राज्य सरकार एवं

Scanned by CamScanner

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, जो कि नामांकन वृद्धि की शासकीय नीति के अभिन्न अंग के रूप में काम कर रही है। उक्त योजनाओं से सम्बन्धित पात्र छात्र–छात्राओं को योजना में देय लाभ एवं सुविधाएं निर्धारित समयावधि में दिलवाया जाना समस्त संस्था प्रधानों के पदीय दायित्व में सम्मिलित है। विगत समय में पात्र विद्यार्थियों के निर्धारित समयावधि में आवेदन नहीं कर पाने के कारण उक्त छात्रवृत्ति से वंचित रह जाने के प्रकरण सामने आए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आगामी वाक्पीठ में एक सत्र का आयोजन विभाग में देय समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं में देय लाभ एवं सुविधाओं, पात्रता, आवेदन अवधि, आवेदन की विधि एवं प्रक्रिया इत्यादि समस्त घटकों के सम्बन्ध में विस्तृत अवगति समस्त संस्था प्रधानों को प्रदान किए जाने हेतु विज्ञजनों की वार्ता /चर्चा आयोजित की जानी सुनिश्चित करें। उक्त सम्बन्ध में वर्तमान में अधिकतर योजनाओं के आवेदन ऑनलाईन हो जाने के कारण उक्त आवेदन हेतु पात्र विद्यार्थियों से वांछित समस्त प्रकार के दस्तावेजों (यथा – आधार कार्ड, बैंक खाता, अभिभावक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि) की यथा समय उपलब्धता हेतु संस्था प्रधानों को अग्रिम तैयारी रखे जाने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में उक्त योजनाओं से सम्बन्धित लाभान्वितों की विस्तृत सूचना शासन स्तर पर चाहे जाने के कारण विगत चार वर्षों में व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं में लाभान्वित समस्त विद्यार्थियों से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध करवाए जाने हेतु इस कार्यालय के विभिन्न प्रपत्रों द्वारा वांछित सूचना/विवरण हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में वाक्पीठ में लेकर आने हेतु समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि सम्पूर्ण जिले की सूचनाएं समेकित की जा सके।

6. शासन स्तर से प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप विगत सत्र में सम्पूर्ण राज्य में हाउस हॉल्ड सर्वे के तहत अनामांकित तथा ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने के विशिष्ट अभियान के अंतर्गत 5 से 18 (3 से 5/6 आयु वर्ग के लिए आंगनबाडी) आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किए जाने बाबत् विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्तानुरूप प्रत्येक पंचायत परिक्षेत्र को ड्रॉप आउट फ्री " **उजियारी पंचायत** " घोषित करवाए जाने हेतु प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र दिनांक : 24.05.2018 में प्रदत्त निर्देशों तथा राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् के पत्र दिनांक : 28.05.2018 में वर्णित " **टाईम फ्रेम** " के अनुरूप पात्र पीईईओ द्वारा 20 जुलाई, 2018 से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन किए जाने बाबत् निर्देश प्रदत्त हैं। वाक्पीठ के दौरान जिला परिक्षेत्र की अधिकाधिक ग्राम पंचायतों को " उजियारी पंचायत " का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु वांछित कार्यवाही संपादित किए जाने हेतु निर्देश प्रदान करावें।

7. इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा–स/स्टाफ मीटिंग/2017/03 दिनांक : 08.09.17 द्वारा समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान एवं स्टाफ सदस्यों के मध्य पारस्परिक विमर्श द्वारा विद्यालय संचालन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक माह के अन्तिम कार्य दिवस को नियमित रूप से स्टाफ मीटिंग के आयोजन हेतु स्थाई निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त निर्देशानुरूप आयोज्य प्रत्येक स्टाफ मीटिंग का कार्यवाही विवरण दर्ज करने हेतु कार्यवाही रजिस्टर का संधारण आवश्यक रूप से किया जाना है, परन्तु विभागीय अधिकारियों के विद्यालय परिवीक्षण के दौरान उक्त निर्देशों की समुचित पालना का अभाव पाया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में वाक्पीठ के दौरान समस्त संस्था प्रधानों को संदर्भित परिपत्र दिनांक : 08.09.17 में प्रदत्त निर्देशों की अवगति एवं अक्षरशः पालना हेतु पाबन्द किया जाना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर अन्य समसामयिक महत्वपूर्ण मुद्दों एवं विषयों पर भी वाक्पीठ में आवश्यकतानुसार चर्चा/वार्ता आयोजित करवाई जा सकती हैं ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु ।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner